



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 42599 वर्ष 2025

मोहम्मद जावेद

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: : राजीव कुमार पांडेय, शार्देदु मिश्रा
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजी ए श्री अरिमर्दन यादव को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह ज़मानत अर्जी, अभियुक्त-आवेदक मोहम्मद जावेद की ओर से दायर की गई है, जिसमें केस क्राइम संख्या 303/2025 (पुलिस थाना सोरांव, जिला प्रयागराज) में ज़मानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला गो-वध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 24.9.2025 से जेल में बंद है। सह-अभियुक्त मोहम्मद हसनैन को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या 38199/2025 में पारित आदेश के तहत ज़मानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के आपराधिक इतिहास से संबंधित तीन मामलों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, और यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, ज़मानत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एजीए ने ज़मानत के इस अनुरोध का पुरजोर विरोध किया है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए—किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—जमानत का एक मामला बनता है। तदनुसार, ज़मानत अर्जी **मंजूर** की जाती है।

उपर्युक्त केस क्राइम संख्या में शामिल आरोपी-आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक निजी मुचलका और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करे; यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, जब तक कि विचारण न्यायालयसंबंधित अदालत द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, निचली अदालत को उसकी ज़मानत रद्द करने की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव